

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक -

सं०सं०-16/एच.ई.-15/2018 -

/स्वा०/पटना दिनांक-

डा० श्याम सुन्दर सिंह, निदेशक, होमियोपैथ, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार कोषागार नियमावली-2011 के नियम-84 (पूर्व का नियम-148) के तहत आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. एतद् संबंधी पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ/आदेश अवक्रमित समझे जायेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :-16/एच.ई.-15/2018 -35(आ.प्र.)/ पटना, दिनांक -06.01.2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय ब्रांच, सिचाई भवन एवं बेली रोड, ब्रांच, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना/बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-डा० श्याम सुन्दर सिंह, निदेशक, होमियोपैथ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman K 6/1/26
सरकार के उप सचिव
Annu